संख्या 478 /VI/2006

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग :– देहरादून : दिनांक : 25 अप्रैल, 2006

विषयः– राज्य सेक्टर योजनाओं के गठन हेतु दिशा – निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तरांचल में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य शासन द्वारा घोषित पर्यटन नीति– 2001 में उल्लिखित कार्ययोजना के आधार पर पर्यटक स्थलों के सुरूचिपूर्ण, सुनियोजित, समेकित तथा समयबद्ध रूप से विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित दिशा–निर्देश लागू करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :

1. जनपद स्तरीय जिला पर्यटन सलाहकार समिति तथा उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद स्तर पर योजनाओं का चयन करते समय प्रथम वरियता उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय पर तैयार कराये गये विभिन्न मास्टर प्लानों की चिन्हित परियोजनाओं को दिया जाएगा।

2. पर्यटन विकास से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जहां पर प्रदेश से बाहर के पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। ऐसे स्थलों के चयन में पर्यटन महत्व तथा पर्यटन गमनागमन को आधार मानकर प्राथमिकता निर्धारित की जा सकेगी।

3. ऐसे वर्तमान में अल्प ज्ञात पर्यटक स्थल जो कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हों तथा जहां पर पर्यटन आकर्षण विद्यमान हो, के विकास के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।

4. धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए स्थलों के चयन हेतु ए0एस0आई0 व पुरातत्व विभाग में जो धार्मिक स्थल की सूची है उनमें से राष्ट्रीय अथवा प्रदेश स्तरीय ख्याति प्राप्त पर्यटन महत्व के धार्मिक स्थलों को ही चिन्हित किया जाए। ऐसे धार्मिक स्थल जो ए0एस0आई0 सूची में नहीं हैं परन्तु प्रविख्यात हैं व अर्न्तजनपदीय/अर्न्तप्रदेशों से आवागमन है, उनको भी पर्यटन महत्व की दृष्टि से देखते हुए चिन्हित किया जा सकता है लेकिन उक्त चयन करते समय यह स्पष्ट होना होगा कि ऐसे स्थलों पर बाहरी राज्यों/जनपदों से पर्यटक आवागमन काफी संख्या में है तथा इसके पुष्ट आंकड़े उपलब्ध हैं।

5. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सर्किट/गन्तव्यों पर जहां पर कोई हैरिटेज प्रोपर्टी अथवा हैरिटेज क्षेत्र है, के पर्यटन विकास की योजनाएं भी प्रस्तावित की जा सकती है।

6. राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट यथा पार्कों का विकास (टूरिज्ट डेस्टीनेशन अथवा टूरिस्ट सर्किट पर स्थापित हो) बस पार्किंग, भूमि विकास बैंक, स्नान घाट, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पर्यटन आवास गृहों का निर्माण एवं रख–रखाव, साहसिक खेल एवं कैम्पिंग उपकरणों का क्रय, रज्जू मार्गों का निर्माण एवं रख–रखाव, पर्यटन से सम्बन्धित अन्य गतिविधियां आदि ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त थीम पार्क, मनोरंजन पार्क, रोप–वे, वोटिंग आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन हेतु पी0पी0पी0 मॉडल को भी अधिकाधिक प्रयोग में लाया जाए।

7. साहसिक खेल से सम्बन्धित उपरकण वर्तमान आधारभूत सुविधाओं का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण, विभागीय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का भी प्राविधान रखा जाए।

8. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित पर्यटन विकास योजनाओं पर भी उपर्युक्त दिशा–निर्देश लागू होंगें, किन्तु ऐसी योजनाओं के लिए स्थल/क्षेत्र का चयन समाज कल्याण विभाग द्वारा चिन्हित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्रों के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

9. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता हो, उनके लिए प्रथम किस्त के रूप में 1000/– टोकन मनी की ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत करवाई जाए ताकि भूमि हस्तान्तरण के समय योजना की स्वीकृति में बाधा उत्पन्न न हो एवं जब औपचारिक रूप से भूमि हस्तान्तरण पर्यटन विभाग के पक्ष में हो जाएगा तब भुगतान अन्य योजनाओं की भांति इन योजनाओं में भी किया जाएगा।

10. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता होगी, उनकी भूमि हस्तान्तरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण इकाई की होगी।

11. आगामी वर्ष के प्रस्ताव हेतु प्रत्येक चालू वर्ष के माह अक्टूबर/दिसम्बर तक प्राप्त प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा।

12. बड़ी परियोजनाओं के लिए (वन विभाग की भूमि आपत्ति वाली योजनाओं को छोड़ते हुए) धनराशि तीन किस्तों में भुगतान की जाएगी। 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत।

13. प्रायः देखा गया है कि योजना स्वीकृति के उपरान्त उस योजना पर प्रगति समयबद्ध रूप में नहीं हो पाती है। अतः यह लक्ष्य रखा गया कि जो योजनायें 2004–2005 तक स्वीकृत हैं उन्हें मार्च, 2007 से आगे नहीं ले जाया जाएगा। उसके बाद धनराशि दी जानी सम्भव नहीं होगी। इसके बाद सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्माण इकाई का होगा। वर्ष, 2004–2005 तक की चालू योजनाओं के लिए धनराशि वर्ष, 2006–2007 तक ही दी जाएगी।

14. आंगणन की Vetting हेतु मुख्य परियोजना अभियन्ता के सुझाव भी सम्मिलित किए जाएं, जिनका उल्लेख आंगणन में किया जाएगा।

प्रत्येक कार्य पर समय–समय पर हुई प्रगति के कम से कम तीन स्तरों पर (कार्यक्रम प्रारम्भ होने, 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने तथा कार्य पूर्ण होने पर) फोटोग्राफ्स उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को उपलब्ध करायें जाएंगे।

राज्य सेक्टर योजनाओं का चयन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया

शासन/विभिन्न स्तरों से प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकते हैं। परिषद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण व संस्तुति निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जाएगी।

1. रूपये 10.00 लाख से 1.00 करोड़ तक के प्रस्तावों को निम्नलिखित समिति द्वारा परीक्षण व संस्तुत किया जाएगा :–

(क)	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, (अवस्थापना, निवेश व नियोजन) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद	सदस्य
(ग)	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(घ)	वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद	सदस्य
(ड.)	संयुक्त निदेशक, पर्यटन (योजना) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद	सदस्य/सचिव

आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी को भी बुलाया जा सकता है।

2. रूपये 1.00 करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति द्वारा योजनाओं का परीक्षण व संस्तुत किया जाएगा :–

(क)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(ग)	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद	सदस्य/सचिव

आवश्यकतानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ को भी बुलाया जा सकता है।

1. रू0 10.00 लाख से रू0 1.00 करोड़ तक की योजनायें धन स्वीकृति के पश्चात सामान्यतः 1 वर्ष से 1½ वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण कराने का लक्ष्य होगा।

2. रू0 1.00 करोड़ से रू0 5.00 करोड़ तक की योजनायें धन स्वीकृति के पश्चात 2 वर्ष में पूर्ण कराने का लक्ष्य रहेगा।

3. रू0 5.00 करोड़ से अधिक तक की योजनायें धन स्वीकृति के पश्चात 3 वर्ष में पूर्ण कराई जानी होंगी।

4. योजनाओं की प्रगति व जटिलताओं के देखते हुए समिति समय सीमा निर्धारित करेगी।

5. संस्तुत योजनाओं पर अन्तिम निर्णय माननीय पर्यटन मंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा।

उपरोक्त मानकों के आधार पर एक साल एडवांस प्लानिंग हो ताकि स्वीकृत वर्ष के पूर्व वर्ष में ही माह दिसम्बर तक सभी इस्टीमेट्स प्रस्ताव प्राप्त हो जाएं।

प्रस्ताव के साथ निम्न बिन्दुओं पर सूचना आवश्यक होगी

1. सम्बन्धित निर्माण इकाई के विभागाध्यक्ष की संस्तुति आंगणन के साथ आवश्यक होगी।

2. पर्ट चार्ट (वित्तीय/भौतिक) आंगणन में सम्मिलित होगा।

3. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य पूर्ण की तिथि का स्पष्ट उल्लेख आंगणन में होगा। पर्ट चार्ट के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में पेनाल्टी भी लगायी जाएगी जो निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

4. प्रस्तावित परियोजना की उपयोगिता एवं उसका पर्यटन गमनागमन में अनुकूल प्रभाव से सम्बन्धित औचित्य।

5. रू0 1.00 करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों पर कन्सलटेंसी/वास्तुविद की राय ली जाएगी तथा इसका प्रस्तुतिकरण पावर प्वांइट के रूप में सम्बन्धित निर्माण इकाई के परियोजना अभियन्ता द्वारा किया जाएगा।

पावर प्वांइट के रूप में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाएगी :–

(क) योजना का पर्यटन की दृष्टि से महत्व।
(ख) योजना की कॉमर्शियल/फाईनेंशियल दृष्टि से उपयुक्तता।
(ग) यदि योजना कॉमर्शिलय पैटर्न पर है, तो उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था कौन करेगा और यदि नॉन कॉमर्शियल पैटर्न पर है, तो उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था कौन करेगा।
(घ) योजना की टेक्निकल (Vetting)।

(ड.) योजना एसथेटिक्स/ईको फ्रेंडली दृष्टि से उपयुक्त है कि नहीं।
(च) योजना से कितनों को रोजगार मिलेगा।

6. योजना को प्रस्तावित करने से पूर्व भूमि चयन के फोटोग्राफ्स एवं भूमि की उपलब्धता प्रमाण पत्र तथा भूमि के मूल कागजों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

7. निर्माण योजनाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मुख्यालय स्तर पर यू0टी0डी0बी0 द्वारा तकनीकी दल गठित कर योजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

8. योजनाओं के प्रस्ताव संलग्न परीक्षण प्रारूप के अनुसार ही प्रस्तुत किये जाएंगें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 479/VI/2006/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
4. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
7. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून/अल्मोड़ा
9. विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, अल्मोड़ा।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द वर्द्धन)
अपरसचिव।

(राज्य योजना)

योजना परीक्षण प्रारूप

1. योजना का नाम–

2. योजना का कार्य स्थल (पता)–(ग्राम ब्लॉक, तहसील, जनपद)

3. प्रस्तावक का विवरण–

4. भूमि की उपलब्धता/यदि वन भूमि है तो उक्त भूमि में लगे पेड़ों की स्थिति, भूमि निर्विवाद होने का प्रमाण पत्र सहित–

5. रख–रखाव हेतु प्रमाण पत्र–

6. योजना स्थल पर विगत 3 वर्षों का पर्यटन गमनागमन की तथ्यात्मक सूचना–

7. योजना, विभाग द्वारा तैयार कराये गये मास्टर प्लानों के अन्तर्गत किस पर्यटन सर्किट/पर्यटन गन्तव्य के अन्तर्गत है–

8. **योजना की श्रेणी :–**

(क) मुख्य पर्यटक स्थलों व पर्यटन मार्ग पर,
(ख) अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर,
(ग) नया पर्यटक स्थल,
(कृपया श्रेणी के आगे विवरण इंगित करें व शेष पर **"X"** चिन्हित कर दें)

9. योजना के क्रियान्वयन से पर्यटकों को क्या–क्या लाभ प्राप्त होंगें ?–

10. योजना से राज्य शासन को क्या लाभ प्राप्त होगा ?–

11. योजना से कितने लोगों को रोजगार सुलभ होगा ?–

12. आंगणन शासन द्वारा निर्धारित इकाईयों द्वारा तैयार किया गया है? यदि नहीं, तो औचित्य प्रस्तुत किया जाय–

13. आंगणन पर पर्ट चार्ट लगा है ?–

14. मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/गिरिजाघर आदि के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना :–

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय पहचान के सम्बन्ध में पुष्टि
(ख) जिले के गजेटियर में स्थान

(ग) प्रामाणिक इतिहास
(घ) धार्मिक ग्रन्थों में उल्लेख
(ङ) पुरातात्विक महत्व
(च) समिति का सोसायटी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या
(छ) समिति का विगत 3 वर्ष की आय–व्यय लेखा

15. योजना के पर्यटनोपयोगी होने के सम्बन्ध में जिला पर्यटन सलाहकार समिति की संस्तुति है अथवा नहीं–

16. आवासीय सुविधा के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक मण्डलीय विकास निगम की संस्तुति–

17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति–

(रू0 10.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 1.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं पर लागू)
यह कार्यवाही परिषद स्तर पर सम्पादित की जाएगी।

18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति–

(रू0 1.00 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये एक करोड़ तक की लागत की योजनाओं पर लागू)
यह कार्यवाही परिषद स्तर पर सम्पादित की जाएगी।

****